लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

(स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता योजना)

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, ग्रामीण विकास विभाग

बिहार सरकार

विद्युत भवन-2, प्रथम तल, बेली रोड, पटना-800 021, दूरभाष : +91-612-250 4980, फैक्स : +91-612-250 4960 वेबसाइट : www.lsba.bih.nic.in

पत्रांक : BRLPS/ESH-LSBA/12/16/153 दिनांक : 15/06/19

प्रेषक,

राजीव कुमार सिंह, बि०प्र०से०,
प्रशासी पदाधिकारी-सह- राज्य समन्वयक
लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान।

प्रेषित,

सभी जिला समन्वयक/प्रभारी जिला समन्वयक,
जिला जल एवं स्वच्छता समिति, बिहार।

विषय: **LSBA अंतर्गत लाभार्थियों के प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों/अभ्यावेदनों के दस्तावेजीकरण एवं संधारण किए जाने के संबंध में।**

महाशय,

आप अवगत हैं कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान केन्द्र प्रायोजित स्वच्छ भारत मिशन (SBM-G) तथा राज्य सम्पोषित लोहिया स्वच्छता योजना का सम्मिश्रण है। इसके तहत पूरे राज्य को 02 अक्टूबर 2019 तक 'खुले में शौच से मुक्त' किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस हेतु लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्य यथा – ODEP का निर्माण किया जाना, IHHL के तहत फॉर्म का संग्रह, जिओ-टैगिंग, पार सत्यापन आदि कार्य किए जा रहें हैं। परन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह प्रतीत हो रहा है कि जिलों/प्रखंडों में लाभार्थियों के प्राप्त आवेदन पत्रों/अभ्यावेदनों का दस्तावेजीकरण एवं संधारण उचित नहीं है, जिससे कालक्रम में आवश्यकता होने पर दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण एवं सत्यापन में कठिनाई होने की संभावना है।

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों का अंकेक्षण हेतु सभी दस्तावेजों का संधारण अनिवार्य है। दस्तावेजीकरण एवं संधारण हेतु पूर्व में भी सभी कार्यशालाओं/बैठक में निर्देश दिया गये हैं एवं पत्र के माध्यम से भी संसूचित किया गया है। सुविधा हेतु इस संबंध में पुनः निदेश दिये जा रहें हैं जो निम्नवत् है :-

A. **IHHL हेतु आवेदनों का रख-रखाव** :-

1. लाभार्थियों के आवेदन पत्रों/अभ्यावेदनों पर प्राप्ति तिथि अंकित करते हुए उसका प्राप्ति एकल पंजी में विहित प्रपत्र में अंकन किया जाय।
2. प्राप्ति पंजी में आवेदन पत्र/अभ्यावेदन से संबंधित पूर्ण विवरणी एवं विषय स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय।

क्र० सं०	तिथि	संख्या	माह	आवेदन/अभ्यावेदन कहाँ/किससे प्राप्त हुआ है	विषय	अभ्युक्ति
01	07.06.2019	01	जून	राम कुमार, ग्राम-महेशपुर, पंचायत-रामनगर, जिला-कैमूर	IHHL Form	

3. प्राप्ति पंजी में अंकित आवेदन पत्र/अभ्यावेदन के क्रम की प्रविष्टि, आवेदन पत्र/अभ्यावेदन पर भी निश्चित रूप से की जाय ताकि प्राप्त आवेदन की स्थिति ज्ञात हो सके।

4. इसके उपरांत आवेदन/अभ्यावेदन IMIS पर प्रविष्टि हेतु जाना है जहाँ संबंधित यथा – कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा प्राप्त आवेदन/अभ्यावेदन पर प्राप्ति तिथि एवं प्राप्ति क्र० सं० का अंकन हस्ताक्षर के साथ किया जायेगा।

5. IMIS पर प्रविष्टि होने के उपरांत आवेदन/अभ्यावेदन पर प्रविष्टि की तिथि का मुहर (IMIS entered on dt) लगाया जाय।

6. इसके उपरांत आवेदन/अभ्यावेदन संबंधित जिओ टैगर यथा – प्रखंड समन्वयक के पास जिओ-टैगिंग हेतु जाना है। जिसका आवंटन संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/प्रखंड समन्वयक द्वारा जिओ-टैगर्स को किया जायेगा जिस पर जिओ-टैगिंग हेतु क्र०सं० एवं तिथि अंकित की जायेगी।

7. जिओ-टैगिंग के जिला द्वारा अनुमोदन के उपरांत (Geotagging Approved on dt) का मोहर आवेदन/अभ्यावेदन पर अंकित किया जाय।

8. जिओ-टैगिंग के उपरांत आवेदन/अभ्यावेदन संबंधित कम्प्यूटर ऑपरेटर के पास LSBA पर Payment हेतु जायेगा जहाँ कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा प्राप्त आवेदन/अभ्यावेदन पर प्राप्ति तिथि एवं प्राप्ति क्र० सं० का अंकन हस्ताक्षर के साथ किया जायेगा।

9. LSBA पर Payment हेतु आधार अद्यतन होने के उपरांत संबंधित ऑपरेटर द्वारा आवेदन/अभ्यावेदन पर मुहर (Aadhar updated on) का लगाया जायेगा।

10. तत्पश्चात् सभी आवेदन/अभ्यावेदन संचिका के पत्राचार भाग पर रखते हुए टिप्पणी पृष्ठ संख्या पर क्रमवार आवेदकों की विवरणी सहित कुल आवेदनों की संख्या, विभिन्न स्तरों पर प्रविष्टि एवं सत्यापन की तिथि का अंकन सहित भुगतान हेतु संचिका प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है, जिस पर प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा भुगतान होने की उपरांत (Payment done on dated) का मोहर अंकन किया जाय।

11. Payment done के उपरांत आवेदनों/अभ्यावेदनों का रख-रखाव वार्डवार/पंचायत वार फोल्डर में किया जाय।

12. वार्डवार/पंचायतवार संधारित दस्तावेजों के आलोक में निम्न प्रारूप में सूची का निर्माण कर फोल्डर के ऊपर चिपकाया (Paste) जाय।

प्रखंड का नाम :-						जिला :-	
क्र० सं०	पंचायत का नाम	ग्राम का नाम	वार्ड संख्या एवं नाम	रक्षित आवेदनों की क्रम संख्या		फोल्डर संख्या	अभ्युक्ति
				प्रारंभ क्र० सं०	अंतिम क्र० संख्या		

13. सभी फोल्डरों का संधारण जिला/प्रखंड स्तर पर ट्रंक, अलमीरा इत्यादि का क्रय कर समुचित रूप से किया जाना है ताकि दस्तावेजों का रख-रखाव सही तरीके से हो सके।

B. <u>अन्य दस्तावेज/संचिका/पंजी</u> : यथा -

1. बेस लाईन सर्वे की प्रति का संधारण एवं अद्यतन बेस लाईन सर्वे की प्रति ।
2. ग्रामवार/पंचायतवार ODEP की प्रति का संधारण ।
3. LOB में दर्ज नामों के आवेदक/विवरणी सूची का संधारण ।
4. जिओ-टैगर के भुगतान संबंधित संचिका/पंजी का संधारण एवं ससमय अद्यतन किया जाना ।
5. स्वच्छाग्रहियों द्वारा किये गये कार्य विवरणी/भुगतान संचिका/पंजी का संधारण एवं ससयम अद्यतन किया जाना ।
6. SRP/DRP संबंधित कार्य/अनुपस्थिति/Performance Appraisal एवं भुगतान से संबंधित संचिका/पंजी का संधारण एवं नियमित रूप से अद्यतन किया जाना ।
7. प्रखंड/जिला स्तर पर IEC मद में किये गये कार्य, कार्य हेतु कार्यादेश (Work order), कार्य की सत्यापन एवं एजेंसियों को किये गये भुगतान से संबंधित संचिका/पंजी का संधारण एवं नियमित रूप से अद्यतन किया जाना ।
8. प्रखंड/जिला स्तर पर क्रय किये गये अस्थायी एवं स्थायी Asset हेतु Asset पंजी, वितरण पंजी इत्यादि एवं अन्य उपस्करों हेतु Stock पंजी का संधारण एवं नियमित रूप से अद्यतन किया जाना ।
9. जिला/प्रखंड स्तर पर अधिष्ठापित वार रूम/कंट्रोल रूम में प्रतिनियुक्त स्वच्छाग्रहियों के चयन, कार्यरोस्अर, मानदेय भुगतान से संबंधित संचिका/पंजी का संधारण एवं नियमित रूप से अद्यतन किया जाना ।
10. प्रखंड/जिला स्तर पर विभिन्न कर्मियों को देय TA/DA भुगतान से संबंधित संचिका/पंजी का संधारण एवं नियमित रूप से अद्यतन किया जाना ।
11. LSBA अंतर्गत कार्यरत सभी कर्मियों की निजी संचिका का संधारण इत्यादि ।

अत: अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया के तहत जिला/प्रखंड स्तर पर प्राप्त आवेदनों/अभ्यावेदनों का दस्तावेजीकरण एवं संधारण हेतु संबंधित को निदेशित करने का कष्ट करेंगे ।

विश्वासभाजन

15/6/19

(राजीव कुमार सिंह)

ज्ञापांक : BRLPS/ESH-LSBA/12/16/153 दिनांक : 15/06/19

प्रतिलिपि : सभी प्रखंड समन्वयकों/जिला सलाहकारों, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : सभी निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण-सह-सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : सभी उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

15/6/19

(राजीव कुमार सिंह)